"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2010-2012."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 256] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 5 अक्टूबर 2012—आश्विन 13, शक 1934

कृषि (पशुधन विकास) विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 5 अक्टूबर 2012

अधिसूचना

क्रमांक एफ 4-5/2012/35.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल, एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ पशुधन एवं डेयरी विकास विभाग तृतीय श्रेणी (तकनीकी और अलिपिक वर्गीय) डेयरी सेवा भर्ती नियम, 2009 में निम्नलिखित और संशोधन करते हैं. यह अधिसूचना दिनांक 17 जनवरी, 2012 से दो वर्ष की कालावधि के लिए प्रवृत्त रहेगी, अर्थात् :—

संशोधन

उक्त नियमों की अनुसूची में :—

1. अनुसूची-एक के सरल क्रमांक 4 के कॉलम (6) में, शब्द "जिला स्तरीय" का लोप किया जाये.

2. अनुसूची-एक के सरल क्रमांक 5 के कॉलम (6) में, शब्द "जिला स्तरीय" जोड़ा जाये.

Raipur, the 5th October 2012

NOTIFICATION

No. 4-5/2012/35.—In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Chhattisgarh, hereby, makes the following further amendment in the Chhattisgarh Agriculture (Animal Husbandry and Dairy Development) Department Class-III (Technical and Non-Ministerial) Dairy Services Recruitment Rules, 2009. This notification shall come into force from the date of 17th January, 2012 for a period of two years, namely :—

AMENDMENT

In Schedule of the said rules :—

1. In column (6) of serial number 4 of Schedule-I, the words "District Level" shall be omitted.

2. In column (6) of serial number 5 of Schedule-I, the words "District Level" shall be added.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
पारसनाथ राम, उप-सचिव.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2012.